भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1280

(जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

छत्तीसगढ़ में जारी सीएसआर निधि

1280. श्री विजय बघेलः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने सीएसआर निधि जारी की है साथ ही परियोजनाओं के नाम और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें अलग से कितनी राशि जारी की गई;
(ख) दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, विशेषकर बेमेतरा जिले सहित तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो गई हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या उपर्युक्त मामले में नोडल एजेंसियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। अधिनियम की अनुसूची VII उन क्षेत्रों या विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें किसी कंपनी द्वारा सीएसआर के रूप में किया जा सकता है। प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी जिसकी निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है या 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार है या तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ है, यह सुनिश्चित करेगी कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, तीन तत्काल वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% हैं। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फ़ाइल करना अपेक्षित है। अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हे निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार है।

जारी...2/-

मौजूदा कानूनी प्रावधान, सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति तैयार करना, सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, परियोजना और क्षेत्र की पहचान जिसमें परियोजना कार्यान्वित की जाएगी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय का प्रमाणन और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय की लेखा परीक्षा आदि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान करते हैं। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुमोदित राशि सौंपे गए कार्यकलाप (कार्यकलापों) पर खर्च की गई है। यदि कोई राशि खर्च नहीं की जाती है तो ऐसी राशि निर्धारित समय सीमा में अनुसूची VII में नामित निधि (निधिओं) में अंतरित की जाएगी।

मंत्रालय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार सीएसआर आंकडे और सीएसआर परियोजना के पूरा होने की स्थिति के बारे में अलग से नहीं रखता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फ़ाइल सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, छतीसगढ़ में पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक विकास क्षेत्रवार और जिलावार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक- I और अनुलग्नक- II में संलग्न हैं।

जब कभी सीएसआर प्रावधानों के किसी उल्लंघन की सूचना मिलती है, तो अनुपालन न करने वाली ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अभिलेखों की विधिवत जांच करने तथा कानून की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद कार्रवाई शुरू की जाती है।

******

अनुलग्नक- I

दिनांक 28.07.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1280 के भाग (क) से (घ) का संदर्भ लें

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक छत्तीसगढ़ में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
1.	कृषि वानिकी	0.05	0.44	1.09
2	पशु कल्याण	0.42	0.58	0.62
3.	सशस्त्र बल, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं / आश्रित	0.39	0.10	0.53
4.	कला और संस्कृति	0.78	7.39	9.02
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	-	0.19	0.55
6.	शिक्षा	53.75	277.52	100.41
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	21.20	27.44	14.85
8.	लैंगिक समानता	0.08	0.31	0.21
9.	स्वास्थ्य देखभाल	166.04	133.77	110.67
10.	आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	9.10	23.91	39.31
11.	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	6.43	24.71	17.16
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	36.50	79.14	89.43
13.	सुरक्षित पेयजल	4.45	2.29	1.77
14.	स्वच्छता	1.64	13.56	0.42
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.55	3.06	4.52
16.	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	-	0.02	0.18
17.	अनाथालय की स्थापना	0.00	0.18	0.21
18.	स्लम क्षेत्र विकास	0.39	0.32	0.63
19.	सामाजिक-आर्थिक समानता	3.02	1.47	2.11
20.	विशेष शिक्षा	1.26	1.55	2.50
21.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	1.78	5.83	9.56
22.	व्यावसायिक कौशल	8.69	1.59	13.22
23.	महिला सशक्तिकरण	1.20	3.73	2.26
24.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	-	-	1.49
	कुल	**317.70**	**609.08**	**422.73**

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंध प्रकोष्ठ)

*कंपनियों ने या तो क्षेत्र के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

अनुलग्नक- II

दिनांक 28.07.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1280 के भाग (क) से (घ) का संदर्भ लें वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक छत्तीसगढ़ में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	जिला	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	बालोद	-	-	-
2.	बलौदाबाजार	-	-	-
3.	बलरामपुर	-	-	-
4.	बस्तर	15.26	12.12	17.24
5.	बेमेतरा	-	-	-
6.	बीजापुर	-	-	-
7.	बिलासपुर	16.74	28.10	46.40
8.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	8.77	9.91	19.52
9.	धमतरी	1.83	9.29	2.71
10.	दुर्ग	13.52	11.26	5.91
11.	गरियाबंद	-	-	-
12.	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	-	-	-
13.	जांजगीर-चांपा	10.29	15.97	5.90
14.	जशपुर	2.31	0.27	2.73
15.	कबीरधाम	0.77	1.67	0.10
16.	खैरागढ़	-	-	-
17.	कोंडागांव	-	3.00	-
18.	कोरबा	22.03	27.23	37.20
19.	कोरिया	2.78	2.46	4.90
20.	महासमुंद	0.77	0.27	6.90
21.	मनेंद्रगढ़	-	-	-
22.	मोहला-मानपुर	-	-	-
23.	मुंगेली	-	-	0.25
24.	नारायणपुर	-	-	-
25.	रायगढ़	23.22	273.62	107.77
26.	रायपुर	79.66	94.87	110.42
27.	राजनांदगांव	7.80	9.23	15.68
28.	शक्ति	-	-	-
29.	सारंगढ़	-	-	-
30.	सुकमा	2.49	1.41	-
31.	सूरजपुर	1.17		1.53
32.	सरगुजा	11.89	10.58	5.03
33.	उत्तर बस्तर कांकेर	1.02	6.59	9.15
34.	जिले जिसे अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया	95.36	91.24	23.41
कुल		**317.70**	**609.08**	**422.73**

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंध प्रकोष्ठ)

*****